F.No.7(20)/2008-E.III(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
..........

New Delhi. Dated 24rd September, 2008.

## OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision in the rates of Family Planning Allowance for adoption of small family norms following the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

...........

Consequent upon the implementation of the revised pay structure by the Government with effect from 1st January, 2006 on the basis of recommendations of the Sixth Central Pay Commission and in partial modification of this Ministry's O.M. No.6(39)/98-IC.II dated 6th July, 1999, the President is pleased to sanction the revised Family Planning Allowance at double the existing amount of the Family Planning Allowance, subject to a minimum of Rs.210/- per month as indicated in Column 7 of Annexure to this Office Memorandum.

2. The allowance will be related to the Grade Pay corresponding to the post against which the employee concerned had initially earned or will earn the Family Planning Allowance. All other terms and conditions governing the grant of Family Planning Allowance shall remain unchanged.

3. **These orders will be effective from 1st September, 2008.**

4. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

5. Hindi version of this O.M. will follow.

Madhulika Prasad

**( Madhulika P. Sukul )**
**Joint Secretary to the Govt. of India**

To

All Ministries & Departments etc.

**Annexure to O.M. No.7(20)/2008-E.III(A) dated 24thth September, 2008**

**Revised Rates of Family Planning Allowance (FPA) with reference to Revised Pay Bands and Grade Pays for posts carrying present scales in Group 'A', 'B', 'C' & 'D'**

(In Rs.)

| Present Scale | | | Revised Pay Structure | | | Rate of Family Planning Allowance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. No. | Post/ Grade | Present Scale | Name of Pay Band/ Scale | Corresponding Pay Bands/ Scales | Corresponding Grade Pay | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | S-1 | 2550-55-2660-60-3200 | -1S | 4440-7440 | 1300 | 210 |
| 2 | S-2 | 2610-60-3150-65-3540 | -1S | 4440-7440 | 1400 | |
| 3 | S-2A | 2610-60-2910-65-3300-70-4000 | -1S | 4440-7440 | 1600 | |
| 4 | S-3 | 2650-65-3300-70-4000 | -1S | 4440-7440 | 1650 | |
| 5 | S-4 | 2750-70-3800-75-4400 | PB-1 | 5200-20200 | 1800 | |
| 6 | S-5 | 3050-75-3950-80-4590 | PB-1 | 5200-20200 | 1900 | |
| 7 | S-6 | 3200-85-4900 | PB-1 | 5200-20200 | 2000 | |
| 8 | S-7 | 4000-100-6000 | PB-1 | 5200-20200 | 2400 | |
| 9 | S-8 | 4500-125-7000 | PB-1 | 5200-20200 | 2800 | 250 |
| 10 | S-9 | 5000-150-8000 | PB-2 | 9300-34800 | 4200 | 400 |
| 11 | S-10 | 5500-175-9000 | PB-2 | 9300-34800 | 4200 | |
| 12 | S-11 | 6500-200-6900 | PB-2 | 9300-34800 | 4200 | |
| 13 | S-12 | 6500-200-10500 | PB-2 | 9300-34800 | 4200 | |
| 14 | S-13 | 7450-225-11500 | PB-2 | 9300-34800 | 4600 | 450 |
| 15 | S-14 | 7500-250-12000 | PB-2 | 9300-34800 | 4800 | 500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | S-15 | 8000-275-13500 | PB-2 | 9300-34800 | 5400 | |
| 17 | New Scale | 8000-275-13500<br>(Group A Entry) | PB-3 | 15600-39100 | 5400 | 550 |
| 18 | S-16 | 9000 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 | |
| 19 | S-17 | 9000-275-9550 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 | |
| 20 | S-18 | 10325-325-10975 | PB-3 | 15600-39100 | 6600 | |
| 21 | S-19 | 10000-325-15200 | PB-3 | 15600-39100 | 6600 | 650 |
| 22 | S-20 | 10650-325-15850 | PB-3 | 15600-39100 | 6600 | |
| 23 | S-21 | 12000-375-16500 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 | |
| 24 | S-22 | 12750-375-16500 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 | 750 |
| 25 | S-23 | 12000-375-18000 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 | |
| 26 | S-24 | 14300-400-18300 | PB-4 | 37400-67000 | 8700 | |
| 27 | S-25 | 15100-400-18300 | PB-4 | 37400-67000 | 8700 | 800 |
| 28 | S-26 | 16400-450-20000 | PB-4 | 37400-67000 | 8900 | |
| 29 | S-27 | 16400-450-20900 | PB-4 | 37400-67000 | 8900 | 900 |
| 30 | S-28 | 14300-450-22400 | PB-4 | 37400-67000 | 10000 | |
| 31 | S-29 | 18400-500-22400 | PB-4 | 37400-67000 | 10000 | 1000 |

**फा. सं. 7(20)/2008–संस्था–III(क)**

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2008

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: **छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सीमित परिवार मानकों को अपनाने के लिए परिवार नियोजन भत्ते की दरों में संशोधन।**

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 01 जनवरी, 2006 से सरकार द्वारा संशोधित वेतन ढांचे के कार्यान्वयन और इस मंत्रालय के दिनांक 06 जुलाई, 1999 के का.ज्ञा. सं. 6(39)/98–आई.सी.-II में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप राष्ट्रपति, परिवार नियोजन के मौजूदा भत्ते को दुगना करते हुए संशोधित परिवार नियोजन भत्ते की स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि यह कम से कम 210 रुपए प्रतिमाह हो, जैसा कि इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध के कॉलम 7 में दर्शाया गया है।

2. परिवार नियोजन भत्ता उस पद के ग्रेड वेतन से संबद्ध होगा जिसे संबंधित कर्मचारी ने प्रारंभ में अर्जित किया था अथवा अर्जित करेगा। परिवार नियोजन भत्ता प्रदान करने की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. **ये आदेश 01 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे।**

4. जहां तक भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

मधुलिका प्रसाद

**( मधुलिका पी. सुकुल )**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय और विभाग आदि।

## दिनांक 24 सितम्बर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 7(20)/2008–संस्था–III(क) का अनुबंध

ग्रुप ''क'', ''ख'', ''ग'' तथा ''घ'' में मौजूदा वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संदर्भ के साथ परिवार नियोजन भत्ता (एफ.पी.ए.) की संशोधित दरें।

(रुपए में)

| मौजूदा वेतनमान | | | संशोधित वेतन संरचना | | | परिवार नियोजन भत्ते की दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | पद/ ग्रेड | मौजूदा वेतनमान | वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम | सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान | सादृश्य ग्रेड वेतन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | एस–1 | 2550-55-2660-60-3200 | -1एस | 4440-7440 | 1300 | 210 |
| 2 | एस–2 | 2610-60-3150-65-3540 | -1एस | 4440-7440 | 1400 | |
| 3 | एस–2क | 2610-60-2910-65-3300-70-4000 | -1एस | 4440-7440 | 1600 | |
| 4 | एस–3 | 2650-65-3300-70-4000 | -1एस | 4440-7440 | 1650 | |
| 5 | एस–4 | 2750-70-3800-75-4400 | वेतन बैंड–1 | 5200-20200 | 1800 | |
| 6 | एस–5 | 3050-75-3950-80-4590 | वेतन बैंड–1 | 5200-20200 | 1900 | |
| 7 | एस–6 | 3200-85-4900 | वेतन बैंड–1 | 5200-20200 | 2000 | |
| 8 | एस–7 | 4000-100-6000 | वेतन बैंड–1 | 5200-20200 | 2400 | |
| 9 | एस–8 | 4500-125-7000 | वेतन बैंड–1 | 5200-20200 | 2800 | 250 |
| 10 | एस–9 | 5000-150-8000 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 4200 | 400 |
| 11 | एस–10 | 5500-175-9000 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 4200 | |
| 12 | एस–11 | 6500-200-6900 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 4200 | |
| 13 | एस–12 | 6500-200-10500 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 4200 | |
| 14 | एस–13 | 7450-225-11500 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 4600 | 450 |
| 15 | एस–14 | 7500-250-12000 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 4800 | 500 |
| 16 | एस–15 | 8000-275-13500 | वेतन बैंड–2 | 9300-34800 | 5400 | 550 |
| 17 | नया वेतनमान | 8000-275-13500 (समूह 'क' प्रविष्टि) | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 5400 | |
| 18 | एस–16 | 9000 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 5400 | |
| 19 | एस–17 | 9000-275-9550 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 5400 | |
| 20 | एस–18 | 10325-325-10975 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 6600 | 650 |
| 21 | एस–19 | 10000-325-15200 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 6600 | |
| 22 | एस–20 | 10650-325-15850 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 6600 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | एस–21 | 12000-375-16500 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 7600 | |
| 24 | एस–22 | 12750-375-16500 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 7600 | 750 |
| 25 | एस–23 | 12000-375-18000 | वेतन बैंड–3 | 15600-39100 | 7600 | |
| 26 | एस–24 | 14300-400-18300 | वेतन बैंड–4 | 37400-67000 | 8700 | 800 |
| 27 | एस–25 | 15100-400-18300 | वेतन बैंड–4 | 37400-67000 | 8700 | |
| 28 | एस–26 | 16400-450-20000 | वेतन बैंड–4 | 37400-67000 | 8900 | 900 |
| 29 | एस–27 | 16400-450-20900 | वेतन बैंड–4 | 37400-67000 | 8900 | |
| 30 | एस–28 | 14300-450-22400 | वेतन बैंड–4 | 37400-67000 | 10000 | 1000 |
| 31 | एस–29 | 18400-500-22400 | वेतन बैंड–4 | 37400-67000 | 10000 | |